परिपत्र संख्या 07/2019-सीमा शुल्क

फा.सं.605/30/2015-डीबीके

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

(प्रतिअदायगी प्रभाग)

****

चौथी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
दिनांक 21 फरवरी, 2019

सेवा में
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त
सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निरोधक)/ सीमाशुल्क और केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक /महानिदेशक जो सी बी आई सी के अंतर्गत आते हों

महोदया/ महोदय,

विषय: पंजीकरण के बंदरगाह के रूप में ईडीआई बंदरगाहों के लिए जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए डीजीएफटी द्वारा सुरक्षा कागज पर अग्रिम प्राधिकार पत्र/निर्यात संवर्धन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) प्राधिकार पत्र के मुद्रण को बन्द करना ।

निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए, डीजीएफटी ने सुरक्षा कागज पर अग्रिम प्राधिकार पत्र /ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने को बंद करने का निर्णय लिया है जो कि अब तक की प्रथा थी। डीजीएफटी ने इस परिवर्तन को अधिसूचित करते हुए नीति परिपत्र 19/2015-2020 दिनांक 14.02.2019 जारी किया है। यह उन मामलों के लिए 01.03.2019 से जारी प्राधिकार पत्रों के लिए लागू होगा जहां पंजीकरण का बंदरगाह ईडीआई बंदरगाह है।

2. अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र सीमा शुल्क सर्वर को डीजीएफटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता रहेगा। उक्त प्राधिकार पत्रों का विवरण आईसीईएस में आयात / निर्यात चक्र अर्थात प्राधिकार पत्र का पंजीकरण, बिल ऑफ एंट्री का आंकलन, आयातित सामानों की जांच, आयातित सामानों का आउट ऑफ चार्ज तथा शिपिंग बिलों का मूल्यांकन, निर्यात वस्तुओं की जांच और निर्यात वस्तुओं के लिए निर्यात आदेश देना शामिल है, से जुड़े सभी अधिकारियों को दिखाई देगा।

3. प्राधिकार पत्रों के पंजीकरण और बांड/बैंक गारंटी लेने की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी सिवाय इसके कि प्राधिकार पत्र की कोई भी भौतिक प्रति प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। प्राधिकार पत्र धारक या उसका विधिवत प्रतिनिधि अपने प्राधिकार पत्र के विवरण अर्थात आईईसी नंबर और प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पंजीकरण के बंदरगाह पर नामित अधिकारी से संपर्क करेगा। प्राधिकार पत्र का विवरण आईसीईएस पर उपलब्ध होगा, जिसमें आईसीईएस पर प्रेषित कोई भी अतिरिक्त/विशेष शर्त शामिल होगी जैसे उच्च बैंक गारंटी, बांड/बैंक गारंटी की छूट आदि। बांड/बैंक गारंटी की राशि का निर्धारण और प्राधिकार पत्र का पंजीकरण बोर्ड के परिपत्रों और आईसीईएस में निहित निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।

4. डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा पहले से पंजीकृत प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी भी संशोधन, अमान्यता आदि के मामले में, यह सीमा शुल्क सर्वर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित और अद्यतन किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक से ऐसे संशोधन की कोई भौतिक प्रति नहीं मांगी जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के संदर्भ में, आयातक/निर्यातक को बिल ऑफ एंट्री/ शिपिंग बिल का स्व-मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्राधिकार पत्र धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकार पत्र के अनुसार उसके दावे/घोषणाएं सही हैं।

4.1 इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रासंगिक छूट सूचनाएं यह निर्धारित करती हैं कि प्राधिकार पत्र को डेबिट के लिए मंजूरी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि प्राधिकार पत्र आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है और आयात और निर्यात से संबंधित अधिकारियों को आईसीईएस में प्राधिकार पत्र के विवरण उपलब्ध हैं, इसलिए आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए डेबिटों की शुद्धता को उपयुक्त अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना जारी रहेगा। चूंकि प्राधिकार पत्र के सभी डेबिट आईसीईएस में किए जाएंगे, इसलिए डीजीएफटी की वेबसाइट से प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उत्पन्न प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि पर कोई भौतिक डेबिट आवश्यक नहीं होगा।

5. ईडीआई बंदरगाहों के लिए डीजीएफटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी एडवांस/ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के संबंध में कोई टीआरए सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नतीजतन, ईडीआई बंदरगाहों के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए प्राधिकार पत्रों का उपयोग गैर-ईडीआई बंदरगाहों पर आयात करने के लिए नहीं किया जा सकता है। गैर-ईडीआई बंदरगाहों के लिए मौजूदा प्रथा के अनुसार डीजीएफटी सुरक्षा कागज पर अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की भौतिक प्रतिलिपि जारी करना जारी रखेगा। ईडीआई/गैर-ईडीआई बंदरगाहों पर आयात करने के लिए टीआरए की सुविधा ऐसे भौतिक प्राधिकार पत्रों के लिए उपलब्ध होगी।

6. बोर्ड के निर्देश फा.सं.605/30/2015-डीबीके दिनांक 28.09.2016 के पैरा 3 में अग्रिम प्राधिकार पत्र के एआरओ/अमान्य के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। डीजीएफटी की उपर्युक्त नीति परिपत्र के मद्देनजर जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अमान्य/एआरओ का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क सर्वर को प्रेषित किया जाएगा, सीमा शुल्क द्वारा एआरओ /अमान्य के लिए उक्त प्रक्रिया वापस ले ली गई है।

7. प्राधिकार पत्रों की छपाई बंद करने के बाद निर्धारित सत्यापन तंत्र और निर्यात दायित्व पूर्ति की निगरानी के लिए बोर्ड के द्वारा निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। हालाँकि, क्षेत्राधिकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क के द्वारा किए जा रहे काम जैसे कि पते का सत्यापन आदि को अब क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क गठन द्वारा निपटाया जाएगा।

8. व्यापार और कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त व्यापार सूचना और स्थायी आदेश जारी किया जा सकता है। परिपत्र के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, को तुरंत बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

आपका आभारी,

(वैभव भटनागर)
ओएसडी (ड्राबैक)
दूरभाष: 011 23367563